

(प्रपत्र संख्या-42-आई)

(अनुच्छेद 369-ज)

उपभोग प्रमाण पत्र

क्रम संख्या-01 शासनादेश संख्या- 1337/XXIV(6)/2018- 4(15)/18 दिनांक-24.12.2018 ₹ 35,00,000/-	प्रमाणित किया जाता है कि हाशिये में दिये गये शासनादेश के अधीन वित्तीय वर्ष 2018-2019 में अनुदान संख्या-11 आयोजनेत्तर पक्ष मानक मद-20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता हेतु प्राविधानित धनराशि ₹ 70,00,000 के सापेक्ष स्वीकृत/अवमुक्त सहायता प्रथम किस्त ₹ 35,00,000 (₹ पैंतीस लाख मात्र) का उपभोग विश्वविद्यालय के अति आवश्यकीय अवचनवद्ध मदों किया गया है।
--	--

योग- ₹ 35,00,000/- (₹ पैंतीस लाख मात्र)


1. जिसके लिये यह स्वीकृत किया गया था वर्ष के अवसान पर अप्रयुक्त शेष शून्य-रु० है।
2. प्रमाणित किया जाता है कि मुझे समाधान है कि शर्तें जिन पर सहायता अनुदान स्वीकृत किया गया था, को समयक रूप में पूरा किया गया है तथा कि निम्नलिखित चैकों को यह देखने के लिए मैंने यह प्रयोग किया है कि, धनराशि वास्तव में उस प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया था, जिसके लिए यह स्वीकृत था।

चैकों के प्रभार-


- 1- विश्वविद्यालय पी०एल०ए० ई०चैक संख्या-PL 0700886401190001 दिनांक 23.01.19 ₹ 20,00,000 .00
2. विश्वविद्यालय पी०एल०ए० ई०चैक संख्या-PL 0700886403190003 दिनांक 28.03.19 ₹ 15,00,000 .00


कुल धनराशि योग ₹ 35,00,000 .00

पी०एल०ए० में अवशेष धनराशि- ₹ शून्य


कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
कुल्हद्वानी
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
कुल्हद्वानी (नैनीताल)

प्रतिहस्ताक्षर


कुलपति, 24/1/19
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
Vice-Chancellor
Uttarakhand Open University
Haldwani, Nainital (U.K.)


वित्त नियन्त्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
कुल्हद्वानी
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
कुल्हद्वानी (नैनीताल)

(प्रपत्र संख्या-42-आई)

(अनुच्छेद 369-ज)

उपभोग प्रमाण पत्र

क्रम संख्या-01 शासनादेश संख्या- 541/XXIV(1)/2018-4(14)/18 दिनांक- 10.05.2018 ₹ 2,00,00,000/-	प्रमाणित किया जाता है कि हाशिये में दिये गये शासनादेशों के अधीन वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-11 आयोजनेत्तर पक्ष वेतन भत्ते आदि के लिए अनुदान हेतु प्राविधानित धनराशि ₹ 600.00 लाख का उपभोग विश्वविद्यालय में कार्यरत प्राध्यापक/सहाय प्राध्यापक एवं कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि के भुगतान हेतु उपयोग किया गया है।
क्रम संख्या-02 शासनादेश संख्या- 1106/XXIV(6)/2018-4(14)/18 दिनांक- 05.10.2018 ₹ 4,00,00,000/-	


योग- ₹ 6,00,00,000/- (छः करोड़ मात्र)

1. जिसके लिये यह स्वीकृत किया गया था वर्ष के अवसान पर अप्रयुक्त शेष शून्य-रु० है।
2. प्रमाणित किया जाता है कि मुझे समाधान है कि शर्तें जिन पर सहायता अनुदान स्वीकृत किया गया था, को सम्यक रूप में पूरा किया गया है तथा कि निम्नलिखित बैंकों को यह देखने के लिए मैंने यह प्रयोग किया है कि, धनराशि वास्तव में उस प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया था, जिसके लिए यह स्वीकृत था।

बैंकों के प्रभार-


1- पी०एल०ए० ई०बैंक संख्या- PL 0700886406180001	दिनांक	27.06.2018	₹ 2,00,00,000.00
2- पी०एल०ए० ई०बैंक संख्या- PL 0700886412180001	दिनांक	27.12.2018	₹ 2,00,00,000.00
3- पी०एल०ए० ई०बैंक संख्या- PL 0700886402190001	दिनांक	05.02.2019	₹ 1,00,00,000.00
4- पी०एल०ए० ई०बैंक संख्या- PL 0700886403190001	दिनांक	19.03.2019	₹ 1,00,00,000.00
कुल धनराशि योग-			₹ 6,00,00,000.00


पी०एल०ए० में अवशेष धनराशि - शून्य


कुलसचिव

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी सचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

प्रतिहस्ताक्षर


कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
Vice-Chancellor
Uttarakhand Open University
Haldwani, Nainital (U.K.)



वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)